



**भारत निर्वाचन आयोग**  
**Election Commission of India**

निर्वाचन सदन  
NIRVACHAN SADAN  
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001  
ASHOKA ROAD, NEW DELHI - 110 001

सं.464/गुजरात-वि.स./2017

दिनांक:17 दिसम्बर, 2017

सेवा में

महासचिव,  
भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)  
11, अशोक रोड,  
नई दिल्ली-110001

विषय:- गुजरात की विधान सभा के लिए साधारण निर्वाचन, 2017 तत्संबंधी।

महोदय,

13 दिसम्बर, 2017 की देर रात को इंडियन नेशनल काँग्रेस (आईएनसी) ने एक अभ्यावेदन दिया था जिसमें उन्होंने श्री नरेन्द्र मोदी, श्री अरूण जेटली, श्री अमित शाह, श्री पीयूष गोयल, श्री जीतू बाघनानी एवं भारतीय जनता पार्टी के अन्य नेताओं के विरुद्ध यह आरोप लगाया था कि उन्होंने आदर्श आचार संहिता के उपबंधों का उल्लंघन किया है और उन्होंने अभिकथित उल्लंघनों के लिए कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। उपर्युक्त अभ्यावेदन पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी, गुजरात की मदवार रिपोर्ट प्राप्त की गई थी और इस मामले की विधिक जांच की गई थी। उपर्युक्त मामले में, आपके दल का एक प्रतिनिधिमंडल 14 दिसम्बर, 2017 को आयोग से मिला था और आपके नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों का स्वतः मदवार जवाब दे दिया गया था।

2. विद्यमान उपबंधों के अधीन, आदर्श आचार संहिता में राजनीतिक दलों द्वारा निर्वाचन घोषणा पत्र जारी करने की कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं है। यह भी देखा गया कि आयोग द्वारा इस संबंध में कोई अनुदेश जारी नहीं किया गया है।

3. आयोग का यह सुविचारित मत है कि डिजिटल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का कई गुणा विस्तार होने के कारण, विद्यमान एवं उभरती परिस्थितियों की आवश्यकताओं और चुनौतियों से निपटने के लिए विद्यमान आदर्श आचार संहिता, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 तथा इससे संबंधित अन्य उपबंधों की समीक्षा किया जाना अपेक्षित है। आयोग उपर्युक्त विषयों पर शीघ्र विचार करेगा और विद्यमान उपबंधों में आवश्यक संशोधन करने हेतु सुझाव प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों, मीडिया, एनबीए तथा अन्य पणधारियों से परामर्श करेगा। तदनुसार एक समिति गठित की जा रही है जिसके लिए इन मामलों पर विचार करने के लिए विस्तृत आदेश तथा सन्दर्भ की शर्तें अलग से जारी की जाएंगी। समिति इस संबंध में आयोग को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

4. भारतीय जनता पार्टी को सलाह दी जाती है कि इसके बाद से, 48 घंटे की प्रतिबंधित अवधि के दौरान मतदान कराए जाने वाले क्षेत्र के संबंध में किसी भी निर्वाचन सम्बन्धी बात का उल्लेख न करें।

भवदीय,

(वरिन्दर कुमार)  
प्रधान सचिव